प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के सफल कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में सम्पन्न "राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (SLSMC) की 18वीं बैठक की कार्यवाही।

अनुपस्थिति :– संलग्न

केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) झारखण्ड राज्य में जून, 2015 से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष–2022 तक सभी आवास विहीन शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना है। वर्त्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) राज्य के सभी शहरी निकायों में क्रियान्वित है।

योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (SLSMC) की 18वीं बैठक में निम्न प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया गया :–

2667
30/10/19

प्रस्ताव सं० 1– गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की गई। (परिशिष्ट क)

प्रस्ताव सं० 2 – PMAY(U) के तृतीय घटक "भागीदारी में किफायती आवास का निर्माण" के तहत जमशेदपुर अ०क्षे०स० क्षेत्राधीन गाँधी आश्रम में 120 आवासों के निर्माण हेतु नये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) भारत सरकार को भेजने पर अनुमोदन।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तृतीय घटक "भागीदारी में किफायती आवास का निर्माण" अंतर्गत **"गाँधी आश्रम" जमशेदपुर अ०क्षे०स०** में कुष्ठ रोगियों के जीवन स्तर में उन्नयन हेतु निर्मित किए जाने वाले 120 आवासों (G+3 Modal) के लिए नये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार किया गया है।

आवासों के निर्माण हेतु DPR, JUIDCO Ltd. से प्राप्त हुई है जिसपर मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदान की गयी एवं State Level Appraisal Committee (SLAC) का अनुमोदन प्राप्त है। योजना की कुल प्राक्कलित राशि रु० 92228400/– (नौ करोड़ बाईस लाख अठाईस हजार चार सौ रूपये मात्र) है जिसकी विवरणी निम्नवत् है:–

केन्द्रांश	:	रु० 180.00 लाख
राज्यांश	:	रु० 742.284लाख
लाभुक अंशदान	:	रु० 0.00 लाख
कुल	:	**रु० 922.284 लाख**

प्रस्तावित परियोजनाओं अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता राशि 1.5 लाख रूपये प्रति आवास के बाद बची हुई शेष राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उक्त परियोजना कुष्ठ रोगियों के लिए है अतः योजना के क्रियान्वयन हेतु लाभार्थी से कोई अंशदान नहीं लिया जाएगा।

चूंकि योजना में लाभुक अंशदान शुन्य है जो पूर्व से निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 5382 दिनांक 02.11.2018 की कंडिका–8 से भिन्न है इसलिए समिति द्वारा निदेश दिया गया कि नीतिगत निर्णय हेतु योजना पर मंत्रिपरिषद् से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए।

Scanned by CamScanner

360

समिति द्वारा योजना पर सैधांतिक सहमति प्रदान की गई एवं इसे भारत सरकार के निर्धारित विहित प्रपत्र (7B) पर वांछित सूचना के साथ–साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR), भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने पर अनुमोदन दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई सम्पन्न की गई।

30/10/19

(डी० के० तिवारी)
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः– 07/न०प्र०नि०/PMAY(HFA)/01/2015 2667 राँची/दिनांकः 30/10/19

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/बैठक में उपस्थित सभी सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

Scanned by CamScanner